न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 23 सन 2020
अनवान :–

1. अलीमुदीन पुत्र जमालदीन जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :– श्री विजय सिह अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 04/09/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा कस्वा नोहर के खाता संख्या 79/77 की कुल 1.4860हैक भूमि सयुक्त तौर से वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादी का नाम हलीमुदीन पुत्र जमालदीन दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम अलीमुदीन पुत्र जमालदीन है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम अलीमुदीन पुत्र जमालदीन है वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , सभी में वादी का सही नाम अलीमुदीन पुत्र जमालदीन दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अलीमुदीन पुत्र जमालदीन के स्थान पर हलीमुदीन पुत्र जमालदीन दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर हलीमुदीन पुत्र जमालदीन के स्थान पर अलीमुदीन पुत्र जमालदीन संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित होकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर संशोधन करने की अभिशंषा की गई है व राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा कस्वा नोहर के खाता संख्या 79/77 की कुल 1.4860हैक भूमि सयुक्त तौर से वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादी का नाम हलीमुदीन पुत्र जमालदीन दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम अलीमुदीन पुत्र जमालदीन है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम अलीमुदीन पुत्र जमालदीन है वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , सभी में वादी का सही नाम अलीमुदीन पुत्र जमालदीन दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अलीमुदीन पुत्र जमालदीन के स्थान पर हलीमुदीन पुत्र जमालदीन दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर नाम संशोधन करने की अभिशंषा की गई व राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा कस्वा नोहर के खाता संख्या 79/77 की कुल 1.4860हैव भूमि सयुक्त तौर से वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। जिसमें वादी का नाम हलीमुदीन पुत्र जमालदीन दर्ज है

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय अलीमुदीन पुत्र जमालदीन के स्थान पर हलीमुदीन पुत्र जमालदीन दर्ज किया गया है सही नाम अलीमुदीन पुत्र जमालदीन है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम अलीमुदीन पुत्र जमालदीन दर्ज वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात/रिपोर्ट के आधार पर वादी का सही नाम अलीमुदीन पुत्र जमालदीन होना प्रतित होता है

इसप्रकार वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात पेरोकार भूमिधारी द्वारा वादी के जबाब के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही किया गया है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र/पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही करना के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कस्वा नोहर के खाता संख्या 79/77 की कुल 1.4860हैव भूमि में सयुक्त खाते में वादी का नाम हलीमुदीन पुत्र जमालदीन अंकित है के स्थान पर अलीमुदीन उर्फ हलीमुदीन पुत्र जमालदीन संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 4/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. अलीमुदीन पुत्र जमालदीन जाति कुम्हार मु0 साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 23 सन 2020 निर्णय दिनांक-04/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयानगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता संख्या 79/77 की कुल 1.4860हैक भूमि में सयुक्त खाते में वादी का नाम हलीमुदीन पुत्र जमालदीन अंकित है के स्थान पर अलीमुदीन उर्फ हलीमूदीन पुत्र जमालदीन संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 4/9/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)